रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082020-221418
CG-DL-E-28082020-221418

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] **नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2020/भाद्र 6, 1942**
No. 213] **NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2020/BHADRA 6, 1942**

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(अवसंरचना नीति और कार्यक्रम अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2020

फा. सं. 13/1/2017-इंफ्रा.—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची (अनुबंध-I) एतद्वारा अधिसूचित की जाती है। दिनांक 13 अगस्त, 2018 की अधिसूचना में किए गए निम्नलिखित परिवर्तनों को नई सूची में समाविष्ट किया गया है।

i सस्ते किराये वाले आवासीय परिसर को परिभाषित करते हुए फुटनोट के साथ 'सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना' की श्रेणी में एक नई मद को जोड़ने के द्वारा अवसंरचना उपक्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची में "सस्ते किराये वाले आवासीय परिसर" को जोड़ा जाता है।

बी. पुरुषार्थ, संयुक्त सचिव (आईपीएफ)

अनुबंध-I

अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची

क्र.सं.	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
1.	**परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स**	सड़क और पुल पत्तन[1] पोत कारखाना [2]

		अन्तर्देशीय जलमार्ग एयरपोर्ट इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल प्रणाली सुरंग, पुल, सेतु सहित रेलवे ट्रैक कारखाने एवं संबद्ध रखरखाव की सुविधाओं के साथ रेलवे रोलिंग स्टाक स्टेशन एवं समीपवर्ती वाणिज्यिक अवसंरचना सहित रेलवे टर्मिनल अवसंरचना शहरी लोक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक को छोड़कर) लॉजिस्टिक्स अवसंरचना[3] भारी-भरकम सामग्री परिवहन पाइपलाइनें[4]
2.	**ऊर्जा**	विद्युत उत्पादन विद्युत पारेषण विद्युत वितरण तेल/गैस/द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा[5]
3.	**जल और स्वच्छता**	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जल शोधन संयंत्र वाहित मल संग्रहण, प्रबंधन तथा निपटान प्रणाली सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि) स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली
4.	**संचार**	दूरसंचार (फिक्स्ड नेटवर्क)[6] दूरसंचार टावर दूरसंचार और दूरसंचार सेवाएं
5.	**सामाजिक तथा वाणिज्यिक अवसंरचना**	शिक्षण संस्थाएं (कैपिटल स्टाक) खेलकूद अवसंरचना[7] अस्पताल (कैपिटल स्टाक)[8] पर्यटन अवसंरचना अर्थात् (i) 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल (ii) रोपवे एवं केबल कार औद्योगिक पार्कों तथा फूड पार्कों, टैक्सटाईल पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधा तथा कृषि बाजार जैसी औद्योगिक गतिविधि सहित अन्य पार्कों हेतु साझी अवसंरचना कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना टर्मिनल बाजार मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रशीतन श्रृंखला[9] सस्ते आवास[10] सस्ते किराये वाले आवासीय परिसर[11]

1. मुख्य तलकर्षण शामिल हैं।

2. “पोत कारखाने” को तैरती हुई अथवा तटीय, घुमावदार बंदरगाह, लंगरगाह और डॉकिंग सुविधा, जलावतरण मंच और/ अथवा पोत उठाव की आवश्यक विशेषताओं वाले जल पर अथवा भूमि पर स्थित सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है, और जो पोत निर्माण/मरम्मत/पोत तोड़ने के कार्यकलाप करने में सक्षम है।

3. "लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के निवेश तथा 10 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), 15 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश तथा 20,000 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ शीत श्रृंखला सुविधा तथा/अथवा 25 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश तथा 1 लाख वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ भंडार गृह सुविधा सहित बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क सम्मिलित है।"

4 . तेल, गैस, स्लरी, जल आपूर्ति तथा लौह अयस्क पाइपलाइनें शामिल हैं।

5. कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भण्डारण शामिल है।

6. आप्टिक फाइबर/वायर/केबल नेटवर्क, जो ब्राडबैण्ड/इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।

7. खेलकूद और खेलकूद संबंधी कार्यकलाप में प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए प्रशिक्षणशालाओं हेतु खेलकूद स्टेडियम और अवंसरचना का प्रावधान शामिल है।

8. चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केंद्र शामिल हैं।

9. कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर की प्री-कूलिंग हेतु प्रशीतन कक्ष सुविधा शामिल है।

10. "सस्ते आवास" को एक ऐसी आवासीय परियोजना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें अधिकतम 60 वर्ग मीटर के कार्पेट क्षेत्रफल@ वाली आवासीय इकाई के लिए फर्श क्षेत्रफल अनुपात (एफएसआर)/फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के कम से कम 50 प्रतिशत का उपयोग किया गया है।

11. “सस्ते किराये वाले आवासीय परिसर” का अर्थ मूलभूत नागरिक अवसंरचना सुविधा जैसे कि जल, स्वच्छता, जल अवशिष्ट/सैप्टेज, सड़क, विद्युत के साथ आवश्यक सामाजिक/वाणिज्यिक अवसंरचना के साथ 25 वर्ष की न्यूनतम अवधि हेतु शहरी प्रवासी/गरीब (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों) के लिए केवल किराये के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली परियोजनाओं से हैं तथा जहां यह परियोजना स्थित होगी वहा आसपास के क्षेत्र के स्थानीय सर्वे के आधार पर स्थानीय प्राधिकारियों/निकायों द्वारा आरंभिक किराया तय किया जाएगा।

परियोजना का अर्थ सूचीबद्ध परियोजना से है न्यूनतम दो कमरों या एक कमरे की 40 आवासीय शयनकक्ष डोरमैट्री इकाइयों या किसी भी अनुपात में सभी तीनों के मिश्रण वाली परंतु यह दो शयनकक्ष इकाइयों के अंतर्गत कुल विकसित क्षेत्रफल के एक तिहाई से अधिक न हो ।

आवासीय इकाइयों (डीयू) का अर्थ 60 वर्ग मीटर तक कार्पेट क्षेत्रफल@ के लिविंग क्षेत्रफल, रसोई, शौचालय एवं स्नानागार के साथ दो बैडरूम को शामिल करके एक इकाई या 30 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्रफल@ तक लिबिंग क्षेत्रफल रसोई, शौचालय एवं स्नानागार के साथ एकल शयनकक्ष से है।

डोरमैट्री इकाइयों का अर्थ 30 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्रफल@ में उभयनिष्ट रसोई, शौचालय एवं स्नानागार के साथ तीन डोरमैट्री शयन के समुच्य से है अर्थात प्रति डोरमैट्री शयन पर 10 वर्ग मीटर कार्पोरेट क्षेत्रफल@।

@ "कार्पेट क्षेत्रफल" का तात्पर्य वही होगा जो स्थावर संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (ट) में दिया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(INFRASTRUCTURE POLICY & PROGRAMME SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2020

F. No. 13/1/2017-INF.—With the approval of the Competent Authority, an updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors (**Annexure-I**) is hereby notified. The new list incorporates the following change to the notification dated 13th August, 2018:

i. "Affordable Rental Housing Complex" is included in the Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors by insertion of a new item in the category of 'Social and Commercial Infrastructure', with a footnote defining Affordable Rental Housing Complex.

B. PURUSHARTHA, Jt. Secy. (IPF)

Annexure-I

Updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors

Sl.No.	Category	Infrastructure sub-sectors
1.	Transport and Logistics	• Roads and bridges • Ports[1] • Shipyards[2] • Inland Waterways • Airport • Railway track including electrical & signalling system, tunnels, viaducts, bridges • Railway rolling stock along with workshop and associated maintenance facilities • Railway terminal infrastructure including stations and adjoining commercial infrastructure • Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport) • Logistics Infrastructure[3] • Bulk Material Transportation Pipelines[4]
2.	Energy	• Electricity Generation • Electricity Transmission • Electricity Distribution • Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility[5]
3.	Water and Sanitation	• Solid Waste Management • Water treatment plants • Sewage collection, treatment and disposal system • Irrigation (dams, channels, embankments, etc.) • Storm Water Drainage System
4.	Communication	• Telecommunication (fixed network)[6] • Telecommunication towers • Telecommunication & Telecom Services
5.	Social and Commercial Infrastructure	• Education Institutions (capital stock) • Sports Infrastructure[7] • Hospitals (capital stock)[8] • Tourism infrastructure viz. (i) three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million, (ii) ropeways and cable cars

		• Common infrastructure for Industrial Parks and other parks with industrial activity such as food parks, textile parks, Special Economic Zones, tourism facilities and agriculture markets • Post-harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage • Terminal markets • Soil-testing laboratories • Cold Chain[9] • Affordable Housing[10] • Affordable Rental Housing Complex[11]

[1] Includes Capital Dredging

[2] "Shipyard" is defined as a floating or land-based facility with the essential features of waterfront, turning basin, berthing and docking facility, slipways and/or ship lifts, and which is self sufficient for carrying on shipbuilding/repair/breaking activities.

[3] "Logistics Infrastructure" means and includes Multimodal Logistics Park comprising Inland Container Depot (ICD) with minimum investment of Rs. 50 crore and minimum area of 10 acre, Cold Chain Facility with minimum investment of Rs. 15 crore and minimum area of 20,000 sft, and/or Warehousing Facility with investment of minimum Rs. 25 crore and minimum area of 1 lakh sq ft.

[4] Includes Oil, Gas, Slurry, Water supply and Iron Ore Pipelines

[5] Includes strategic storage of crude oil.

[6] Includes optic fibre/wire/cable networks which provide broadband / Internet.

[7] Includes the provision of Sports Stadia and Infrastructure for Academies for Training/Research in Sports and Sports-related activities.

[8] Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostics Centres.

[9] Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat.

[10] "Affordable Housing" is defined as a housing project using at least 50% of the Floor Area Ratio (FAR)/Floor Space Index (FSI) for dwelling units with carpet area[@] of not more than 60 square meters.

[11] "Affordable Rental Housing Complex" means a project to be used for rental purpose only for urban migrant/poor (EWS/LIG categories) for a minimum period of 25 years with basic civic infrastructure facilities such as water, sanitation, sewerage/septage, road, electricity along with necessary social/commercial infrastructure and the initial rent fixed by Local Authority/ Entities based on local survey of surrounding area wherein the project is situated.

Project means a listed project having at least 40 Dwelling Units of double room or single room or equivalent Dormitory Units or a mix of all three in any ratio but not more than one third of total built up area under double bedrooms units.

Dwelling Units (DUs) means a unit comprising of double bed room with living area, kitchen, toilet and bathroom of up to 60 square meters carpet area[@] or single bed room with living area, kitchen, toilet and bathroom of up to 30 square meters carpet area[@].

Dormitory Units means a set of 3 Dormitory Bed with common kitchen, toilet and bathroom in 30 square meters carpet area[@] meaning 10 square meters carpet area[@] per Dormitory Bed.

[@] "Carpet Area" shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.28 19:38:45 +05'30'